Cleaning of Rivers in Tamil Nadu

3873. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have received a plan from the Government of Tamil Nadu for cleaning of rivers and environmental improvement of cities in Tamil Nadu;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) No. Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Forest Land at Seelvasa of Dadra Nagar Haveli (U.T.)

3874. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Seelvasa of Dadra Nagar Haveli U.T. has more than 92.1 per cent of population belonging to scheduled tribes;

(b) whether it is a fact that the land of these tribals is covered under Forest Area; and

(c) whether it is also a fact that the land is the only source of income of tribal people in this area, and they are the sole owner of this land from their last forth father heriditary?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) The Union Territory of Dadra Nagar Haveli, of which Seelvasa is the capital has, according to 1991 census, a population of 1,38,477 out of which 1,09,380 are Scheduled Tribes constituting 78.99% of the total population.

(b) and (c) 42.2% of the geographical area of the Union Territory is under forest cover. The tribals do not have exclusive ownership over the forest lands which are a State property. However, bulk of the population of the Union Territory including non tribals depend heavily on forests for timber and fuelwood and also as a source of earning wages through forestry activities for their livelihood. the tribals also enjoy exclusive rights for collection of Minor Forest produce free of cost as also other privileges in the forest area like collection of fuelwood, leaves and grass etc. for their domestic consumption.

National Forest Policy

3875. SHRI RAM RATAN RAM : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether in the National Forest Policy, 1988, it was recommended that 33 per cent of the total geographical area of the country should be covered by forest;

(b) if so, what is the area under forest cover at present;

(c) whether present coverage is less than 33 per cent; and

(d) what are the reasons therefor and what steps Government propose to increase forest coverage in the country ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) Yes, Sir.

(b) As per the State of Forest Report, 1991, the forest cover in the country is 6,39,182 Sq. km.

(c) Yes, Sir.

(d) The main reasons for the less forest cover are biotic pressure and diversion of forest land for non-forestry purposes. To increase the forest cover, a massive afforestation programme, Social and Farm forestry under the 20-Point Programme is pursued vigorously with the people's participation. During Sixth and Seventh Five Year Plan, an area of 46.50 lakh hectares and 88.85 lakh hectares respectively, have been afforested.

जल-प्रदूषण

3876. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जल प्रदूषण पर काबू पाने में विफल रही है और इसी वजह से जल प्रदूषण को नहीं रोका जा सका है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहि:स्राव और उत्सर्जन की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को कार्यान्वित करने के संबंध में किए गए प्रयासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि जल प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहि:स्राव और उत्सर्जन की अधिकतम स्वीकार्य सीमा का उचित रूप से पालन नहीं करवा रहे हैं और सरकार ने उनके विरुध्द कोई कार्यवाही नहीं की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) शहरी बस्तियों के साथ-साथ नदियों के कुछ भागों में जल प्रदूषण मुख्य रूप से इसलिए अधिक है, क्योंकि वहां पर अशोधित घरेलू मलजल तथा बहि:स्राव शोधन प्रणालियां न चलाने वाले कुछ उद्योगों से विसर्जन होता है । 16 दोषी इकाइयों को बन्द करने की कार्यवाई शुरू की जा चुकी है । ये इकाइयां निम्नलिखित हैं :—

1. मैसर्स कश्मीर डिस्टिलरीज़ प्रा० लि०, ब्रहमना, जम्मू
2. मैसर्स न्यू इंडिया डिस्टिलरीज, बसयपुर, साम्बा, जम्मू
3. मैसर्स ओ० आर० डिस्टिलरीज, गजुलामंडम, जिला चित्तूर
4. प्राइमा टैनरीज़, ओबरी, बाराबंकी
5. टेक्नीकल एसोसिएट इंडस्ट्रीज लि०, बाराबंकी
6. मैसर्स आन्ध्र प्रदेश मैटलर्जिकल इंजीनियरी लि० बोलाराम, जिला मेढक
7. मैसर्स थंडव को-आपरेटिव शुगर, पायाकरावपेट, विजाग
8. मैसर्स एन० वी० आर० को-आपरेटिव शुगर लि०, जामपानी
9. मैसर्स पलेयर को-आप० शुगर लि०, खम्मम
10. मैसर्स वामसधारापेपर मिल्स लि०, मडपम (ग्राम व पो०), जिला श्रीकाकुलम
11. मैसर्स तेलंगाना पेपर मिल्ज लि०, नई कंगुडम, जिला खम्मम
12. मैसर्स आदिवासी पेपर मिल्ज लि०, अस्वारापेट, जिला खम्मम
13. मैसर्स सिरकार्ज पेपर मिल्ज लि०, गुडीपल्लीपडी (वी०), जिला नेल्लोर
14. मैसर्स श्रीइन्द्रा फार्मा केमिकल (प्रा०) लि०, दौलेश्वरम, जिला ई०जी०

नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में नदियों के नीचे दिये गये उन भागों की शिनाख्त की गई है, जिनकी ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है :—

राज्य	नदी	प्रदूषित भाग
दिल्ली/उत्तर प्रदेश	यमुना	दिल्ली-इटावा दिल्ली, मथुरा और आगरा की शहरी सीमाएं
राजस्थान	चम्बल	नागदा के निचले भाग और कोटा के निचले भाग (15 कि०मी०)
उत्तर प्रदेश	काली	मोदी नगर के निचले भाग से गंगा के संगम तक
उत्तर प्रदेश	हिंडन	सहारनपुर से यमुना के संगम तक
मध्य प्रदेश	खान	इंदौर की शहरी सीमा, इंदौर के निचले भाग
मध्य प्रदेश	शिप्रा	उज्जैन की शहरी सीमाएं, उज्जैन का निचला भाग
बिहार/पश्चिम बंगाल	दामोदर	धनबाद के निचले भाग से हल्दिया तक
उत्तर प्रदेश	गोमती	लखनऊ से गंगा के संगम तक
कर्नाटक	कावेरी	तलक्कावाड़ी से मैसूर जिले के पांच किमी० तक, यगाची सीमा
कर्नाटक		के० आर० सागर बांध से होगेनेकल तक
तमिलनाडु		उगालूर से ग्रैंड एनीकट तक
तमिलनाडु		ग्रैंड एनीकट से कुम्बाकोनम तक
गुजरात	साबरमती	अहमदाबाद शहर के निकटवर्ती ऊपरी हिस्से से साबरमती आश्रम तक, साबरमती आश्रम से वाउथा तक
पंजाब	सतलुज	लुधियाना के निचले हिस्से से हरिके तक
बिहार	स्वर्णरेखा	हटिया बांध से भारागोरा तक
महाराष्ट्र	गोदावरी	नासिक के निचले हिस्से से नान्देड तक

महाराष्ट्र		नासिक और नान्देड की शहरी सीमाएं
आन्ध्र प्रदेश		मानेरियल और रामागुंडम से भद्रचलम तक
महाराष्ट्र	कृष्णा	कराड से सांगली तक
महाराष्ट्र		घोम बांध से नरसरोवड़ी तक
आन्ध्र प्रदेश		सहायक नदी नीरा
आन्ध्र प्रदेश		नागार्जुन सागर बांध तक और उस बांध से रिपेला के ऊपरी भाग तक
कर्नाटक	भद्रा	उद्गम स्थान से भद्रा बांध (कर्नाटक) के के० आई० ओ० सी० एल० के निचले हिस्से तक
उड़ीसा	ब्रह्मणी	अंगुल निचला हिस्सा कामलंगा से भूबन तक
कर्नाटक	तुंगा	तीर्थ हल्ली से भद्रा के संगम तक
मध्य प्रदेश	नर्मदा	जबलपुर शहर के साथ-साथ
मध्य प्रदेश	तापी	नेपा नगर के निचले हिस्से से बरहानपुर शहर तक
उड़ीसा	बेतवा	मंडीदीप और विदिशा के साथ-साथ
हिमाचल प्रदेश	व्यास	मनाली से मंडी तक का ऊपरी हिस्सा
हिमाचल प्रदेश		मंडी के निचले हिस्से से हिमाचल प्रदेश सीमा तक
असम	कोलोंग अलोंग	नागांव शहर के साथ-साथ (असम)
असम	भोगडोई	जोरहाट शहर (असम) के साथ-साथ
असम	बड़क	सिलचर शहर (असम) के साथ-साथ
मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल शहर (मणिपुर) के साथ-साथ
त्रिपुरा	हावड़ा	अगरतल्ला शहर (त्रिपुरा) के साथ-साथ

(ग) जी, नहीं । विशिष्ट शिकायतें मिलने पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहि:स्राव, उत्सर्जन और परिवेशी शोर मानक निर्धारित किए गए हैं;

2. उद्योगों के स्थान-निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

3. बहि:स्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित मानकों तक सीमित रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें;

4. केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषक उद्योगों के अनुपालनार्थ बहि:स्राव और उत्सर्जन मानकों संबंधी एक कार्य योजना तैयार की है;

5. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

6. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

7. छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों का सामूहिक बहि:स्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है;

8. लघु उद्योगों में प्रदूषण के निवारण के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है;

9. जल उपस्कर में वृद्धि की गई है ताकि जल संरक्षण और उसके पुन: प्रयोग को बढ़ावा मिल सके;

10. उद्योगों में पर्यावरणीय प्रबन्धन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदूषण निवारण के लिए उद्योगों को पुरस्कृत करने की एक योजना शुरू की गई है;

11. प्राकृतिक संसाधनों और कच्ची सामग्रियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय संपरीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है;

12. सड़क पर चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए मोटर-वाहन नियमावली, 1989 के तहत ठोस उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं और ये 31 मार्च, 1990 से लागू हो गए हैं;

Pollution Control Board

3877. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :